विद्या देवी v/s मनरेगा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ0

8.12.17 प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की तरफ से RAD की तरफ बढ़ाई। 09.2.18 को बहाली

9.2.18 प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की तरफ से होकर 23.3.18 को बहाली

23.3.18 प्रार्थी अधिवक्ता तथा अप्रार्थीगण हेतु 11.5.18 को बहाली

11/5 पत्रावली ऐसे कोई पत्रावली की पेश हुई। वादिया का वाद स्थगित किया जाता है। प्रतिवादी प्रार्थना पत्र भी स्थगित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अलग की जाती है तथा वाद समाप्त घोषित किया जाता है।